Speed Post

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
**दिनांकः 28/02/2019**

File No.

(1) FL/50/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(2) PB/35/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(3) UD/39/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(4) SU/16/2017/STGMP/DEOLAAC/RU-III
(5) MN/43/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(6) AT/7/2018/STGMP/ATOTH/RU-III
(7) CU/36/2018/STGMP/DELAAL/RU-III

सेवा में,

1. जिला कलेक्टर
जिला छिन्दवाड़ा
(म.प्र.)

2. पुलिस अधीक्षक
जिला छिन्दवाड़ा
(म.प्र.)

विषय :– 1. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में श्री फग्गूलाल, ग्राम बडकुही खमारपानी, तहसील बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा का अभ्यावेदन ।

2. आनावेदक के विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने बाबत श्रीमती प्रभाबाई पति स्व. श्री सुखपाल यहके मु. पो. डुंगरिया तितरा, तहसील परासिया जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

3. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में – श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरू, ग्रामगुमतरा, पोस्ट पायरी, विकासखंड– बिछुआ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

4. आवेदक के स्वमित्तव की भूमि पर अनावेदिका द्वारा जबरन कब्जा करने बाबत– श्री संदीप पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी लालबाग, वार्ड नं.14, गोंडी मोहल्ला, छिंदवाडा तहसील व जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

5. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन को रावल मायनिंग कोर्पोरेशन रामपेठ दवामी द्वारा जबरदस्ती अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में श्री मन्नू पिता श्री सितरु धुर्वे, एवं श्री संजु पिता श्री मन्नू धुर्वे, मुकाम रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

6. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अन्य लोगों द्वारा 25 लाख 50 हजार रुपयों की धोखाधड़ी कर और आवेदक की पत्नी का अपहरण कर उसकी राशि लूट लेने,जाति सूचक गाली–गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में श्री अतरु पिता श्री तुलसी परते ग्राम रामगढ़, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

7. आदिवासी समाज की आवेदिका के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 766/1 रकबा 1.584 हे. में से शासन द्वारा अतिक्रमित रकबा 0.599 हे. भूमि का कब्जा दिलाने अथवा शासन द्वारा अतिक्रमण कर किय गये स्थायी निर्माण के बदले में शासन मद की भूमि ख.नं.635/1, 635/2, 652/2 का मद परिवर्तन कर स्थानान्तरण किये जाने बाबत श्रीमती चंद्रकांता उइके पति श्री गोपीचंद उइके, ग्राम शीलादेही, पोस्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 21.01.2019 को कलेक्टर सभाकक्ष जिला कलेक्टर छिंदवाडा (म.प्र.) के साथ किए गए बैठक कि रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि बैठक कि रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

(डॉ. ललित लट्टा) 28/2/20
निदेशक

**प्रतिलिपिः**

1. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।
2. श्री फग्गूलाल, ग्राम बडकुही खमारपानी, तहसील बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा
3. श्रीमती प्रभाबाई पति स्व. श्री सुखपाल यहके मु. पो. डुंगरिया तितरा, तहसील परासिया जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
4. श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरू, ग्रामगुमतरा, पोस्ट पायरी, विकासखंड– बिछुआ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
5. श्री संदीप पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी लालबाग, वार्ड नं.14, गोंडी मोहल्ला, छिंदवाडा तहसील व जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
6. श्री मन्नू पिता श्री सितरु धुर्वे, एवं श्री संजु पिता श्री मन्नू धुर्वे, मुकाम रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
7. श्री अतरु पिता श्री तुलसी परते ग्राम रामगढ़, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
8. श्रीमती चंद्रकांता उइके पति श्री गोपीचंद उइके, ग्राम शीलादेही, पोस्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.)

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

## सुनवाई (Hearing) कार्यवृत्त

| | |
|---|---|
| अपीलकर्ता आवेदक :– | श्री मन्नू पिता श्री सितरू धुर्वे एवं श्री संजू पिता श्री मन्नू धुर्वे निवासी रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर जिला छिन्दवाडा |
| आयोग की फाईल नंबर | MN/43/2018/STGMP/DELAAL/RU-III |
| सुनवाई / बैठक की तिथि | 21/01/2019 |
| सुनवाई /बैठक में उपस्थित अधिकारी | परिशिष्ट क |
| स्थान | सभाकक्ष कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा |

---

उपरोक्त विचाराधीन आवेदक की अपील / अभ्यावेदन पर मेरे द्वारा छिन्दवाडा प्रवास के समय कलेक्टर कार्यालय छिन्दवाड़ा के सभाकक्ष में सुनवाई की गई जिसका कार्यवृत्त इस प्रकार है।

**श्री मन्नू पिता श्री सितरू धुर्वे एवं श्री संजू पिता श्री मन्नू धुर्वे निवासी रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर जिला छिन्दवाडा फाईल नंबर** MN/43/2018/STGMP/DELAAL/RU-III

1. अपीलकर्ता / आवेदक श्री मन्नू पिता श्री सितरू एवं श्री संजु पिता मन्नू धुर्वे जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, से आयोग को दिनॉक 10/8/2018 को विचाराधीन अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसका परीक्षण किया गया और प्रकरण दर्ज कर नोटिस के माध्यम से प्रतिवेदन मंगाने का निर्णय लिया गया।
2. सहायक निदेशक, अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा नोटिस क्रमांक **MN/43/2018/STGMP/DELAAL/RU-III** दिनॉक **10 Aug 2018** जारी करते हुए कलेक्टर छिन्दवाड़ा को 30 दिवस में डाक के माध्यम से अथवा उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये सूचित किया गया।
3. अपीलकर्ता का अनुरोध है कि खसरा क्रमांक 11/1 एवं 11/3 एवं 11/4 प.ह.न. 05/02 रा. नि.म. एवं तहसील सौंसर की भूमि करीब 6 एकड भूमि पर अपीलकर्ताओं का मालिकाना हक में नाम दर्ज है। विचाराधीन खसरे नंबर की भूमि से ही उनका जीवन यापन होता है और अन्य कोई जरिया नहीं है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. रावल माईनिंग कारपोरेशन, रामपेठ दवामी मैगनीज खदान के लिये उक्त भूमि का अधिग्रहण बिना उनकी सहमति के कर रही है जो कि उन्हें स्वीकार नहीं है।

5. यह प्रकरण राजस्व, माईनिंग, रावल माईनिंग कारपोरेशन और आवेदक के मध्य का है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स रावल माईनिंग कारपोरेशन नागपुर, रामपेठ तहसील सौंसर द्वारा खसरा क्रमांक 11/1 रकबा 0.804 हैक्टेयर एवं 11/3 रकबा 1.813 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 11/4 रकबा 1.011 हैक्टेयर जो कि अपीलकर्ताओं की है एवं अन्य भूमि पर खनिज मैगनीज का खनि पट्टा हेतु दिनॉक 29/5/2006 को आवेदन किया गया था।

6. इस प्रकरण में वन विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा अनापत्ति जारी करने पर दिनॉक 22/7/2006 को आवेदकों द्वारा तहसीलदार सौंसर के समक्ष उपस्थित होकर सहमति दी गई और प्रकरण मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित करने पर शासन द्वारा खनिज विभाग के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक एफ–3–41/2007/12/2 दिनॉक 29/5/2009 द्वारा खनि पट्टा स्वीकृत किया गया।

7. दिनॉक 24.10.2009 को अनुबंध निष्पादन किया गया है और भू–प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर माईनिंग द्वारा अवार्ड पारित कर माईनिंग कारपोरेशन को राशि जमा करने हेतु सूचित किया गया है।

8. आवेदकों द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर कथन किया गया कि उन्हें अभी तक भूमि की राशि प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही उनके द्वारा कभी भी सहमति नहीं दी गई है। चूँकि वे जनजाति वर्ग के सीधे साधे कम पढ़े लिखे, गरीब व्यक्ति हैं उनसे कब किस दस्तावेज में हस्ताक्षर कराए गये उन्हें ज्ञात नहीं है। उनके द्वारा कभी भी भूमि देने की सहमति प्रदान नहीं की गई है। वे वर्तमान में भी अपनी भूमि रावल माईनिंग कारपोरेशन को देना नहीं चाहते हैं।

## निर्णय एवं निष्कर्ष

- सुनवाई में अपीलकर्ता उपस्थित हए उनके तथा प्रशासन के तथ्यों एवं पक्ष का श्रवण करने से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन भूमि पर अपीलकर्ता का मालिकाना हक दर्ज है। वह अब अपनी भूमि रावल माईनिंग कारपोरेशन को देना नहीं चाहता है क्योंकि उक्त भूमि उसके जीवन यापन का आधार है।
- यह भी स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को अपनी भूमि का मूल्य प्राप्त नहीं हुआ है।
- जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि रावल माईनिंग कारपोरेशन के पक्ष में खनि पट्टा स्वीकृत किया गया है और भू–प्रवेश की अनुमति दी गई है। चूँकि आवेदक का कथन है कि सहमति

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

देने का तर्क उसे स्वीकार नहीं है। उसके द्वारा सहमति नहीं दी गई है किसी अन्य कार्य से उसके हस्ताक्षर लिये गये हैं। इसलिये उसकी भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

- आवेदक द्वारा खनिज विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसपर कार्यवाही अपेक्षित है, जबकि संबंधित विभाग का कथन है कि उसे आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
- यह भी स्पष्ट है कि आयोग के प्रथम नोटिस जारी होने की दिनॉक 10 अगस्त 2018 के उपरांत से सुनवाई तक जिले के प्रशासन द्वारा आवेदक की अपील तथा आयोग के नोटिस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे प्रकरण.का निराकरण नहीं हो सका।
- इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त कलेक्टर और तहसीलदार द्वारा आयोग को आश्वस्त किया गया कि 15 दिवस में प्रकरण का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए तथ्यों से आयोग को अवगत करायेगें ताकि आवेदक की समस्या का निरारण हो सके।
- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि चूॅकि आवेदक जनजाति वर्ग का गरीब, व्यक्ति है। उसका जीवन–यापन विचाराधीन भूमि से ही होता है। इसलिये उसके अनुरोध अनुसार यदि उसका भूमि आवंटन निरस्त करने का आवेदन प्राप्त हुआ है, जैसा कि उसने समक्ष में अवगत कराया है, तत्काल नियामनसुार कार्यवाही की जावे और यदि आवेदन नहीं भी है तो आवेदक सुनवाई में उपस्थित है उससे आज ही आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जावे।
- यह भी निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र नियमानुसार एवं आवेदक के अनुरोध पर आवश्यक कार्यवाही समयसीमा में सुनिश्चित कर आयोग को अवगत करावें।
- आयोग के नोटिसों को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है,क्योंकि यदि उक्त सभी प्रकरणों में प्रशासन ध्यान देता तो इनका निराकरण समयावधि में संभव था। **कलेक्टर, आयोग के नोटिसों और पत्रों का उत्तर समयावधि में भिजवाने की व्यवस्था एवं स्वंय की उपस्थिति भी सुनिश्चित करें।**

(अनुसुईया उइके)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट क

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

## सुनवाई (Hearing) उपस्थिति पत्रक

अपीलकर्ता आवेदक :– श्री मन्नू पिता श्री सितरू धुर्वे एवं श्री संजू पिता श्री मन्नू धुर्वे निवासी रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर जिला छिन्दवाडा

आयोग की फाईल नंबर MN/43/2018/STGMP/DELAAL/RU-III

सुनवाई / बैठक की तिथि : 21/01/2019

स्थान : सभाकक्ष कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा

---

### राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली

- सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली
- श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी, मान. उपाध्यक्ष महोदया के सहायक निज सचिव

### जिला प्रशासन छिन्दवाड़ा

- श्रीमती कविता बाटला, अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाडा।
- तहसीलदार, सौंसर, श्री अजय शुक्ला।
- श्रीमती तृप्ति धुर्वे पटवारी सौंसर

### अपीलकर्ता आवेदकगण

- श्री मन्नू धुर्वे